पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 19 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों व कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कम्पनी एक्ट, 1956 में गठित राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी है। उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, कियाकलापों व कर्मचारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–3 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हस्तान्तरित किया जाना है।

निगम की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के परिणामस्वरूप निगम सेल कम्पनी बनी रहेगी, जिसके दायित्व सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अंशपूँजी और निगम द्वारा अर्जित लाभ, संचित निधि के रूप में हो जायेंगे और इसका संदाय प्राधिकरण को निगम के परिसमाप्त होने तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जायेगा। निगम द्वारा राज्य सरकार को किये जाने वाले समस्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा किये जाते रहेंगे। कर्मचारियों की सेवा शर्तें, निगम में नियत दिनांक को लागू सेवा शर्तों की अपेक्षा किसी भी स्थिति में कम अनुकूल नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किये जाने के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 2018 के प्रख्यापन का प्रस्ताव अनुमोदित

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, सीडा, लीडा, यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण, यूपीडा एवं यूपीसीडा (उ0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथार्टी) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कई वर्षो तक एक ही स्थान पर कार्यरत होने के कारण उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यदक्षता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में उनकी कार्यकुशलता, कार्यदक्षता एवं पारदर्शिता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना है।

यू0पी0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के अन्तर्गत ''उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 2018'' का प्रख्यापन किया जाना है। उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 2018 से आच्छादित कार्मिकों के वेतन आदि पर आने वाले व्यय–भार का वहन सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। उक्त नियमावली के प्रख्यापन के फलस्वरूप शासन पर कोई व्यय–भार नहीं आयेगा।

लोक निर्माण विभाग आवासीय कालोनी, मुरादाबाद के 02 जर्जर आवासों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में

जनपद मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग आवासीय कालोनी में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र एवं अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के आवास एवं कार्यालय के अतिरिक्त श्रेणी–4 के 07 आवास स्थापित हैं, जिनमें से 02 आवास अत्यन्त जर्जर स्थिति में होने के कारण विगत लगभग 06 से 07 वर्षों से अध्यासन हेतु उपलब्ध नहीं हैं। इन दो आवासों का कुल प्लिंथ एरिया 441.34 वर्ग मी0 है, जो कि लगभग 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के परिसर में अवस्थित है।

यह भवन लगभग 110 वर्ष पूर्व के निर्मित हैं तथा अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके है। विगत कई दशकों से सघन अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से कराये जाते रहने के फलस्वरूप इन आवासों का उपयोग किया जाता रहा है परन्तु भवन की छत, दीवारें एवं नींव आदि संरचनात्मक अवयव अपनी भार धारण क्षमता खो चुके हैं, जिसके कारण भवन अब मानव प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है और खतरनाक है। भवन के विभिन्न संरचनात्मक अवयवों के क्षय हो जाने के कारण अब इसकी मरम्मत कराना सम्भव नहीं है।

लो0नि0वि0 के परिसर में अन्य भूमि उपलब्धता न होने के कारण इन भवनों को हटाकर इसके स्थान पर टाइप–4 के नये आवास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत 02 आवासों का ध्वस्तीकरण आवश्यक हो गया है। ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप रू0 04.58 लाख की धनराशि को बट्टे खाते में डाला जाना प्रस्तावित है।

ई0पी0सी0 पद्धति से हमीरपुर–राठ मार्ग का 02 लेन निर्माण कराने का निर्णय

विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 400 मिलियन यू0एस0डॉलर के ऋण लेने हेतु सहमति दी गयी है। प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत आई0आर0सी0 मानकों के अनुसार आवश्यक पी0सी0यू0 को शिथिल करते हुए हमीरपुर-राठ मार्ग (लागत रू0 34946.62 लाख) को ई0पी0सी0 पद्धति से 02 लेन निर्माण कराये जाने पर मा0 मंत्रि परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त मार्ग के निर्माण से क्षेत्र (हमीरपुर-राठ) का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होने के साथ-साथ स्थानीय उपज का आवागमन पूर्व से अधिक सुगम हो जायेगा। अनुबन्ध गठन के उपरान्त कार्य पूर्ण करने का समय 24 माह होगा और निर्माण के दौरान स्थानीय जनता को लगभग 45000 मानव दिवस का रोजगार प्राप्त होगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्याय विभाग द्वारा बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत

- वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त,2017 के प्रस्तर–2 (18)(क) में यह निर्देश है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण अगले वर्ष मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्याय विभाग द्वारा बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत रू053374.70 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

- परामर्शी विभागों द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

- अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्याय विभाग द्वारा बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/ 2017, दिनांक 03–8–2017 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार बजट में कतिपय योजनाओं के लिये सम्मिलित की गयी एकमुश्त व्यवस्था के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिये उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–31 के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि स्वीकृतियां जारी करने में विलम्ब न होने पाये। एकमुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष व्यय की नयी योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियां, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेंगी एवं अगले वर्ष मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
- प्रदेश के 80 औद्योगिक आस्थान छठवें दशक में बनाये गये थे। वर्ष 2007–08 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना प्रारम्भ हुई।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत रू0 700.00 लाख का प्राविधान किया गया था। उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष 12 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रू0 700.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी ।

पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, झांसी की
पुनरीक्षित लागत एवं उच्च विशिष्टियां अनुमोदित

पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झॉसी के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत प्रयोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 403.5619 करोड़ के व्यय प्रस्ताव एवं उपर्युक्त प्रायोजना में प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों यथा स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, पेविट टाइल्स, वुड ब्लाक फ्लोरिंग, वुडेन पैनलिंग, एन्टीस्किड, एसिड प्रूफ टाइल्स, फाल्स सीलिंग, फ्लोर कारपेट आदि कार्य मदों का अनुमोदन किया जाना है।

मेगा परियोजना हेतु पतंजलि आयुर्वेद, हरिद्वार को विशेष सुविधाएं एवं रियायत उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–2052 दिनांक 02.11.2016 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित

मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0, हरिद्वार को उनकी मेगा परियोजना हेतु प्रदान की गयी विशेष सुविधाओं एवं रियायतों विषयक शासनादेश संख्या–2052/77–6–16–5 (एम)/13टी.सी. दिनांक 02.11.2016 के अनुलग्नक–2 के प्रस्तर–3 में मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 के नाम के साथ मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्रा0 लि0 का नाम एवं नया प्रस्तर–3(क) जोड़े जाने सम्बन्धी संशोधन हेतु प्रकरण मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन हेतु निवेदित है।

मेसर्स पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क नोएडा प्रा0लि0 को विशेष सुविधाओं के रूप में भूमि की सबलीज की सुविधा एवं भूमि की आवंटन दर में प्रचलित आवंटन दर से 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि0 को शासनादेश दिनांक 02.11.2016 द्वारा प्रदत्त सुविधा/रियायत उसकी पूर्णतया स्वामित्व की एस0पी0वी0 मेसर्स पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क नोएडा प्रा0लि0 को उपलब्ध कराए जाने में कोई अतिरिक्त वित्तीय उपाशय उत्पन्न नहीं होगा।

प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना से प्रदेश में पूंजी निवेश, किसानों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य एवं बाजार तथा नए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे।

अयोध्या में नये बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए संस्कृति विभाग की 1.384 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

- भगवान श्रीराम की नगरी के रूप में अयोध्या देश एवं विदेश में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केन्द्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। अयोध्या में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिये उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या के ब्रैन्डिंग एवं प्रचार–प्रसार हेतु गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास हेतु रू0 133.30 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें साकेत पेट्रोल पम्प के निकट बस डिपो के निर्माण हेतु रू0 704.64 लाख प्राविधानित है। स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कराया जाना है।
- प्रस्तावित नवीन बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था अयोध्या बाईपास पर जय पेट्रोल पम्प के सन्निकट स्थित संस्कृति विभाग की 1.384 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण के द्वारा तथा 0.773 हेक्टेयर भूमि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा निर्धारित/ अनुमोदित दरों पर पर्यटन विभाग द्वारा निजी काश्तकारों से क्रय के माध्यम से प्राप्त करते हुये उपलब्ध करया जाना है।
- प्रस्तावित नवीन बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु संस्कृति विभाग की 1.384 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश–2018 लाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

जनपद वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर भगवान शिव के द्वादश ज्योर्तिलिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योर्तिलिंग होने के कारण विश्वस्तरीय ख्याति प्राप्त तथा अध्यात्म एवं पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का एक विशिष्ट स्थल है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर क्षेत्र के सुन्दरीकरण तथा धरोहरों के संरक्षण की योजना प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में आने वाले वार्डों दशाश्वमेध, गढ़वासीटोला के विस्तार को अधिसूचित कर उनका विकास किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त विशिष्ट क्षेत्र के विकास हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश–2018 लाया जाना प्रस्तावित है।

बाण सागर नहर परियोजना की पुनरीक्षित परियोजना लागत के व्यय का प्रस्ताव अनुमोदित

- बाण सागर नहर परियोजना से प्रदेश के मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जनपद के पठारी क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए प्राइस लेवल 1988–89 पर मूल परियोजना ₹330.19 करोड़ की जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति की 57वीं बैठक में दिनांक 27.01.1994 को अनुमोदित की गयी थी।
- परियोजना का प्रथम पुनरीक्षण प्राइस लेवल 2001 पर लागत ₹955.06 करोड़ की जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति की 80वीं बैठक दिनांक 07.02.2003 में अनुमोदित की गयी थी।
- परियोजना का द्वितीय पुनरीक्षण प्राइस लेवल 2006 लागत ₹2058.01 करोड़ की जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति की 90वीं बैठक में दिनांक 26.09.2007 को अनुमोदित की गयी थी।
- परियोजना का तृतीय पुनरीक्षण प्राइस लेवल 2008 लागत ₹3148.91 करोड़ की जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीक सलाहकार समिति की 106वीं बैठक में दिनांक 16.09.2010 को अनुमोदित की गयी थी।
- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.08.2015 को कैमूर वन्य जीव अभ्यारण में अदवा मेजा लिंक नहर के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान के उपरान्त अदवा मेजा लिंक नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 15 जुलाई 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- परियोजना के निर्माण कार्यों की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु पुनः प्राइज लेविल 2015 के आधार पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 द्वारा ₹3420.24 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गयी।
- पुनरीक्षित परियोजना वर्ष 2017–18 तक समग्र रूप से पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ बनायी गयी है जिससे 150132 हे0 अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-19 June, 2018